CMYK

RNI NO. : MAHHIN/1998/02261

महाराष्ट्र क्राईम्स

वर्ष - 23 | अंक - 09 | मुंबई, 05 जुलाई 2024 | पृष्ठ : 8 | कीमत : 5 रुपये | प्रधान संपादक : सिराज चौधरी

पुलिस कांस्टेबल को पीटा; बार मैनेजर गिरफ्तार

मुंबई: अंधेरी वेस्ट के एक बार में हुक्का चेक करने गए एक पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट करने के आरोप में अंबोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में बार मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता पुलिस कांस्टेबल साधन पाटिल अंबोली पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं। अंबोली पुलिस ने मैनेजर जोन नोरबट फर्नांडीस (34) को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की और उन्हें हुक्का का निरीक्षण करने से रोका। शिकायत के मुताबिक, शनिवार आधी रात को शिकायतकर्ता पुलिस इलाके में बार, हुक्का पार्लर और पब की जांच कर रहीं थी। उस वक्त जब पाटिल वीरा देसाई मार्ग पर लिटिल डोर होटल एंड बार में हुक्का चेक करने गए तो आरोपी मैनेजर फर्नांडिस ने उन्हें रोका. उसने उसे धक्का दिया और गाल पर तमाचा जड़ दिया. इस घटना के बाद फर्नांडिस को पुलिस ने अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से तुरंत हिरासत में ले लिया।

अवैध होटल बार पर चला बुलडोजर

मुंबई में पुलिस, नगर निगम अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे की तरह मुंबई के ठाणे में भी अवैध होटलों और बार के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था. इसी के तहत कल मुंबई में कुछ होटलों और बार के खिलाफ कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई मुंबई पुलिस और नगर निगम अधिकारियों ने मिलकर की है. कार्रवाई के दौरान पता चला कि इस जगह पर कदाचार हो रहा है. कुछ होटल बारों पर अतिक्रमण पाया गया। मुंबई पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, मुंबई के चार बीयर बार और होटलों में अवैध शराब और शराब पर प्रतिबंध के बावजूद पुलिस को सूचना मिली थी कि इस होटल बार में इनका सेवन किया जा रहा है. साथ ही यह होटल अवैध रूप से चलाया जा रहा था. साथ ही पुलिस को जानकारी मिली कि कार्रवाई की स्थिति में बार गर्ल को छुपाने के लिए यहां एक खास जगह बनाई गई है. इसी के तहत रविवार को मुंबई नगर पालिका के अधिकारियों और पुलिस ने चार होटल बार में छापेमारी की. टीम ने पाया कि इस

जगह पर कई गैरकानूनी काम हो रहे थे. इसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लेने के बाद चारों होटल और बार को ध्वस्त कर दिया गया है. पुणे के होटलों और पबों में युवा लड़कों के ड्रग्स लेने के वीडियो वायरल हो गए। इस घटना पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संज्ञान लिया. उन्होंने राज्य भर में अवैध होटलों और पबों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। इसके मुताबिक, मुंबई के ठाणे में कई अनाधिकृत होटल पबों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. एक अधिकारी ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि, हमने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है. हमने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मुंबई में ऐसे चार से पांच बीयर बार और होटलों पर छापा मारा है और इन होटलों के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया गया है। ये बीयर बार और होटल अवैध गतिविधियों में शामिल थे। हमें इस संबंध में कई शिकायतें मिली हैं.' जब हमने नगर निगम अधिकारियों के साथ इस बार पर छापा मारा तो बार गर्ल्स कुछ गुप्त कमरों में छुपी हुई थीं. यह कार्रवाई ग्रांट रोड पर स्टर्लिंग बार और आर्यन बीयर बार, डीबी मार्ग पर पूजा बार और सांताक्रूज वेस्ट में गजदर बैंड मार्ग पर स्टार नाइट बार पर की गई है। बीएमसी ने आर्यन बार में सीढ़ियों के नीचे एक अनाधिकृत भंडारण कक्ष बनाया था।

इस बीच, स्टर्लिंग बार में खुले स्थानों पर बनाए गए अवैध रेन शेड और रसोई को ध्वस्त कर दिया गया है। इसी तरह की कार्रवाई सांताक्रूज वेस्ट के स्टार नाइट बार में भी की गई है. बार के पार्किंग एरिया में चल रहे अवैध होटल को ध्वस्त कर दिया गया है.

अमीरों के पलायन; 4300 करोड़पति भारतीय छोड़ सकते हैं देश

नई दिल्ली। करोड़पति भारतीयों का विदेश में बसना अब भारत के लिए चिंता की बात नहीं रही। इसकी वजह यह है कि हर वर्ष जितने अमीर भारतीय देश छोड़ रहे हैं, भारत उससे अधिक संख्या में हाई नेट वर्थ इंडीविजुअल (एचएनआई) पैदा कर रहा है। विश्व में अमीरों के पलायन पर तैयार की गई हेनली और पार्टनर्स की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अनुमान है कि करीब 4,300 करोड़पति भारतीय इस वर्ष देश छोड़ सकते हैं। इन अमीरों की एक बड़ी संख्या संयुक्त अरब अमीरात (यूएइ) में बस सकती है। पिछले वर्ष 5,100 अमीर भारतीय बाहर बस गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमीर भारतीयों का देश छोड़ना चिंता की बात नहीं है क्योंकि जितनी संख्या में वे भारत छोड़ रहे हैं उससे अधिक संख्या में नए करोड़पति पैदा हो रहे हैं।

इस मामले में चीन और ब्रिटेन को पछाड़ सकता है भारत

भारत में 2022 में एचएनआई की संख्या बढ़ कर 7,97,714 हो गई थी। 2021 में एचएनआई की संख्या 7,63,674 थी। इसका मतलब है कि एक वर्ष में एचएनआई की संख्या करीब 34,000 इजाफा हुआ था। भारत दुनिया की सबसे तेजी से

बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उम्मीद है कि करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत चीन और ब्रिटेन के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा।

भारत से इस देश में जा रहे करोड़पति

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के के तौर पर चीन को भले ही पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन भारत से पलायन करने वाले करोड़पतियों की संख्या चीन से पलायन करने वाले करोड़पतियों की संख्या का तीस प्रतिशत ही है।

रिपोर्ट के मुताबिक पलायन करने वाले करोड़पतियों के लिए यूएइ पसंदीदा देश है। यहां शून्य इनकम टैक्स, गोल्डन वीजा, लक्जरी जीवनशैली और रणनीतिक लोकेशन उनको आकर्षित करती है। इन सुविधाओं की वजह से यूएइ में इस वर्ष 6,700 नए करोड़पति आ सकते हैं।

निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक और वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफार्म अपने ग्राहकों को निवेश के बारे में सलाह से जुड़ी सेवाएं देने के लिए यूएई में तेजी से विस्तार कर रही हैं। नुवामा प्राइवेट और एलजीटी वेल्थ मैनेजमेंट इसका ताजा उदाहरण हैं। इसी तरह से दूसरे बैंक भी यूएई में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहे हैं, जिससे वे भारतीय परिवारों को वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज मुहैया करा सकें।

दूसरे देश क्यों जाते हैं करोड़पति?

अमीर परिवार कई वजहों से अपना देश छोड़ कर दूसरे देश में बस जाते हैं। इन वजहों में सुरक्षा, वित्तीय लाभ, टैक्स बेनेफिट, रिटायरमेंट की संभावनाएं, कारोबारी मौके, अनुकूल जीवन शैली, बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन की गुणवत्ता शामिल है।

बैंक में नकली सोना जमा कर 1.38 करोड़ की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: बैंक में नकली सोना जमा कर 1 करोड़ 38 लाख रुपये का लोन लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में बांगुरनगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. इस आरोपी खाताधारक का नाम गौतम चन्ना राठौड़ है और इस मामले में डेढ़ साल पहले 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में मलाड के एक राष्ट्रीयकृत बैंक की महिला मुख्य प्रबंधक ने शिकायत की थी. बैंक ने खाताधारकों के लिए विभिन्न आकर्षक और कम ब्याज वाली गोल्ड लोन योजनाएं शुरू की थीं। उनका प्रयास है कि सभी खाताधारकों को इन योजनाओं का अधिकतम लाभ मिले। इनमें कुछ लोगों ने सोना गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया था. इसके मूल्यांकन की जिम्मेदारी एक महिला मूल्यांकनकर्ता को दी गई थी।

CMYK

महाराष्ट्र क्राईम्स
मुंबई, 05 जुलाई 2024

संपादकीय

सिर मुड़ाते ही ओले पड़े

संसद लगभग डेढ़ अरब लोगों की भाग्य-विधाता है। सत्र के पहले दिन ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तीन बार हंगामा किया गया। दूसरे दिन से अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्तावित थी। भारी शोरगुल हुआ। व्यवधान के कारण सदन स्थगित हो गया। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली स्थिति निर्मित हो गई। संसदीय प्रणाली भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का मूल आधार है। जनता ने एक समूह को बहुमत देकर सरकार चलाने का जनादेश दिया है। साथ ही राष्ट्रहित में सुझाव देने एवं आलोचना करने की जिम्मेदारी दूसरे क्रम पर आए अल्पमत जनसमूह को सौंपी है। लोकतंत्र में विपक्ष और विपक्ष के नेता की विशिष्ट भूमिका होती है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हेरल्ड मैकमिलन ने कहा था, 'विपक्ष के नेता की स्थिति कठिन होती है। दोष निकालना एवं आलोचना करना उसका काम है। संसद और राष्ट्र के प्रति विपक्ष की विशेष जिम्मेदारी है।' बीते कुछ वर्षों से भारत में विपक्ष की भूमिका ने निराश किया है। सदनों में व्यवधान हैं। बीते कुछ वर्षों से धारणा बनी है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है, जबकि सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक लिखा था कि संसदीय प्रणाली में न केवल सशक्त विरोधी पक्ष की आवश्यकता होती है, बल्कि सरकार और विरोधी पक्ष के बीच सहयोग भी आवश्यक होता है। हम जहां तक ऐसा करने में सफल होंगे, वहां तक हम संसदीय जनतंत्र की ठोस नींव रखने में सफल होंगे। हंगामा, नारेबाजी, बहस के दौरान सदन से बहिर्गमन और सदन के भीतर प्लेकार्ड प्रदर्शित करना विपक्ष का अधिकार मान लिया गया है। व्यवधान के कारण विपक्ष भी जनहित के मुद्दे नहीं उठा पाता। महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर सरकार का ध्यानाकर्षण भी नहीं हो पाता। ऐसे तरीकों से जनोपयोगी मुद्दे भी उपेक्षित हो जाते हैं। भारतीय संविधान में शासन की स्थिरता के बजाय जवाबदेही को अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए संविधान निमार्ताओं ने संसदीय पद्धति को अपनाया। संसद में प्रश्न, ध्यानाकर्षण और इसी तरह के अन्य प्रस्ताव संसदीय कार्यवाही के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बनाते हैं। संसद सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का श्रेष्ठ मंच है। इसकी जिम्मेदारी विपक्ष को सौंपी गई है। संसदीय कार्यवाही को विपक्ष ही आदर्श स्थिति में पहुंचा सकता है।

अंधेरी में युवती की गला घोंटकर हत्या

मुंबई : मुंबई के अंधेरी से एक खबर सामने आई है. अंधेरी के मरोल में प्रेम विवाद के चलते एक युवती की गला घोंटकर हत्या करने की चौंकाने वाली घटना हुई है। पहली जानकारी जो हाथ आई है उसके मुताबिक पता चला है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग (मुंबई क्राइम न्यूज) के चलते की गई है। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार संदिग्ध का नाम जैब ख्वाजा हुसैन सोलकर है. उन्हें सहार पुलिस ने अंधेरी से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि इस घटना में मृत लड़की का नाम सारा है. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. लेकिन इस घटना से हर तरफ

हड़कंप मच गया है.

घर में अकेले होने पर गले में लपेटा रस्सी और...

मिली जानकारी के मुताबिक जैब और सारा पिछले कई दिनों से रिलेशनशिप में थे. लेकिन पिछले कुछ दिनों से किन्हीं कारणों से उन दोनों में छोटी-मोटी तकरार होने लगी थी और इसे लेकर हमेशा झगड़े होते रहते थे। इसी बीच 30 जून को सारा मरोल स्थित अपने भाई के घर पर अकेली थी. इसी मौके का फायदा उठाकर संदिग्ध आरोपी जैब मरोल स्थित सारा के भाई के घर पहुंचा और उनके बीच फिर से बहस हुई. बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर जैब ने सारा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

इसके बाद जैब मौके से भाग गया। इस बीच सारा की तब तक मौत हो चुकी थी क्योंकि इस पूरी स्थिति का एहसास बहुत देर से हुआ। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद सहार पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई करते हुए जैब सोलकर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. सहार पुलिस फिलहाल मामले की आगे की जांच कर रही है. लेकिन इस घटना से इलाके में सनसनी मच गई है.

करंट लगने से 10 वर्षीय बालक की मौत

मुंबई : कागज पर पड़ा गेंद उठाने गए छोटे से लड़के पर वक्त ने हमला बोल दिया. मुंबई में हुई इस घटना से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है. कागज पर गेंद उठाने गए 10 वर्षीय बालक की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। ये चौंकाने वाली घटना गोरेगांव में सामने आई है.

शीट पर गिरी गेंद को हटाना जीवन के लिए खतरा है

आज दोपहर 3 बजे के आसपास गोरेगांव पूर्व के मीनाताई ठाकरे मैदान में एक चौंकाने वाली घटना घटी, जब म्हाडा द्वारा पुलिस के लिए बनाए गए पोस्ट की छत से गेंद निकालने के लिए क्रिकेट खेलने गए एक दस वर्षीय लड़के की करंट

लगने से मौत हो गई।

करंट लगने से 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई

गोरेगांव पूर्व के न्यू म्हाडा कॉलोनी सर्कल में मीनाताई ठाकरे ग्राउंड में एक 10 वर्षीय लड़का क्रिकेट खेल रहा था, उसकी गेंद एक बंद पुलिस चौकी की शीट पर गिर गई, जब वह गेंद को निकालने के लिए शीट पर चढ़ गया, तो उसने करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने मीनाताई ठाकरे मैदान में बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा खड़ा कर दिया है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया

इस घटना की जानकारी मिलते ही डिंडोशी पुलिस मौके पर पहुंची और मृत लड़के के शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए ट्रॉमा केयर अस्पताल भेज दिया.

विदेश में नौकरी का लालच देकर 60 बेरोजगार युवकों से 36 लाख की धोखाधड़ी

सोलापुर: बेरोजगार युवाओं को विदेश में उच्च वेतन वाली नौकरियों का लालच देकर आर्थिक रूप से ठगने वाले गिरोह द्वारा चलाए जा रहे एक उद्योग का खुलासा हुआ है। इसमें 60 युवाओं से ठगी की गई है और वित्तीय धोखाधड़ी की रकम 36 लाख है. इस संबंध में सिराज ए. राशिद नदाफ (उम्र 40, निवासी विद्यानगर, उत्तरी सदर बाजार, सोलापुर के पास), सैयद मसूद उर्फ असद गजनफर अली खतीब और उनके भाई सैयद गजनफर अली खतीब (निवासी कोंडानगर, सोलापुर), सैयद नवीधुसेन (निवासी) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार .माहिम दरग्या के पास, मुंबई) और आरोपियों का नाम रईस इलाहीबक्श दलाल (नि. सोलापुर) है।

नींद में चलते समय छठी मंजिल से गिरा; मुंबई में 19 साल के युवक की गई जान !

मुंबई : मुंबई के भायखला इलाके में 19 साल के एक युवक की नींद में चलते समय छठी मंजिल से गिरने से मौत हो गई. मृत युवक का नाम मुस्तफा इब्राहिम एलेकला है. छठी मंजिल से गिरकर मुस्तफा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके

बाद उन्हें सेफी अस्पताल ले जाया गया। हालाँकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुस्तफा की मौत हो गई. भायखला पुलिस स्टेशन की सीमा में रहने वाले एल्के के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. एलनकला का एक 19 साल का बेटा था। इस बच्चे को नींद में चलने की आदत थी. 30 जून की आधी रात को मुस्तफा नींद में टहलते हुए छठी मंजिल से गिर गया. मुस्तफा तीसरी मंजिल पर पोडियम स्थान में गिर गया। इसके बाद उन्हें तुरंत सेफी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालाँकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में भायखला पुलिस ने आकस्मिक मौत दर्ज कर ली है और पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.

असल में क्या हुआ था ?

हमने पहले भी सुना है कि कई लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। लेकिन, नींद में चलने की इसी आदत के कारण भायखला पुलिस स्टेशन में एक 19 साल के मासूम युवक की मौत हो गई. मझगांव में रहने वाले एक परिवार के 19 साल के बेटे की बिल्डिंग की छठी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है.

मृत युवक का नाम मुस्तफा इब्राहिम एलेकला है. चुनावी परिवार टावर नंबर 1, नेस्बिट रोड, मझगांव में रहता है। एलनकला के बेटे को नींद में चलने की आदत थी। 30 जून की आधी रात को मुस्तफा नींद में टहलते हुए छठी मंजिल से गिर गया. वह तीसरी मंजिल पर पोडियम स्थान में गिर गया। मुस्तफा गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें तुरंत इलाज के लिए सेफी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टरों ने मुस्तफा को मृत घोषित कर दिया। भायखला पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत दर्ज की है और पुलिस आगे की जांच कर रही है.

मुंबई में आवारा कुत्तों के काटने की चिंताजनक वृद्धि, कार्रवाई की मांग

मुंबई : मुंबई नगर निगम के देवनार बूचड़खाना कार्यालय से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त आंकड़ों से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें 2020 से 2023 तक

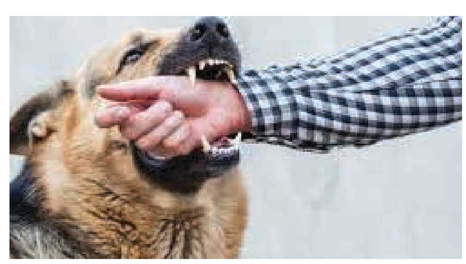

मुंबई में कुत्ते के काटने की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 2020 से 2023 तक कुत्ते के काटने की कम से कम 3508 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से एक घटना घरेलू कुत्ते से जुड़ी है, बाकी मामलों में आवारा कुत्तों को जिम्मेदार ठहराया गया है। घटनाओं में यह वृद्धि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी और उनसे जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को संबोधित करने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

केवल पालतू पशु मालिकों को नोटिस 49-

इसके अलावा, डेटा तीन साल की अवधि में नगर पालिकाओं द्वारा पालतू कुत्ते के लाइसेंस जारी करने में उल्लेखनीय वृद्धि पर भी प्रकाश डालता है। इस अवधि के दौरान कुल 19,158 लाइसेंस जारी किए गए, जो 2020 में 2581 लाइसेंस से 2022 में 6605 लाइसेंस तक की उल्लेखनीय वृद्धि दशार्ता है। हालाँकि, लाइसेंस में इस वृद्धि के बावजूद, बीएमसी के प्रवर्तन प्रयास हल्के लगते हैं, केवल 49 पालतू जानवरों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

नगर निगम की विफलता-

कुत्ते के काटने की घटनाओं की बढ़ती संख्या, 2020 में 610 से बढ़कर 2023 में 1123 तक, आवारा कुत्तों की आबादी की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए नसबंदी उपायों को लागू करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालती है। हालाँकि, नसबंदी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने और प्रभावी ढंग से लागू करने में नगर निगम की विफलता पर चिंता व्यक्त की गई है। रात में कुत्तों को खाना खिलाने की संख्या दोगुनी करना-इस मामले पर बोलते हुए, गिरगांव के निवासी नील शाह ने नगर निगम द्वारा नसबंदी प्रयासों पर ध्यान न देने पर नाराजगी व्यक्त की। पिछले पांच वर्षों में, रात के समय कुत्तों को खाना खिलाने की संख्या दोगुनी हो गई है। उचित देखभाल और प्रबंधन के बिना, आवारा कुत्तों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि से निवासियों पर हमलों का खतरा बढ़ जाता है, नील शाह ने चेतावनी दी है।

मुंबई के गोरेगांव में हादसा... फ्लाईओवर से गिरकर दोपहिया सवार दो की मौत !

मुंबई: मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक दोपहिया वाहन फ्लाईओवर से 20 फीट नीचे गिर गया. इस घटना में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई है. यह घटना सोमवार सुबह की है. स्थानीय लोगों ने उनके शव फ्लाईओवर के नीचे बाइक के पास पड़े पाए जाने पर पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. मृतकों की पहचान वैभव गमरे (उम्र, 28) और उनके दोस्त आनंद इंगले के रूप में की गई है. गेमरे एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं और अपनी पत्नी के साथ गोरेगांव पश्चिम के टिन डोंगरी में रहते हैं और इंगले गोरेगांव पूर्व के निवासी थे. उनका परिवार उनके पैतृक गांव अकोला में रहता है. गोरेगांव पुलिस के अनुसार, दुर्घटना सुबह 4:20 बजे हुई जब गोरेगांव पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही थी. मोबाइल 1 वैन पर नाइट ड्यूटी कांस्टेबल को सुबह 4:25 बजे सूचना मिली कि गोरेगांव पश्चिम में एमटीएनएल जंक्शन की ओर पूर्व-पश्चिम फ्लाईओवर के नीचे दो व्यक्ति घायल पड़े हैं. कांस्टेबल मौके पर पहुंचे और बेहोश दोनों को बाल ठाकरे ट्रॉमा केयर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सोमवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. इसके बाद पुलिस ने गेमरे की पत्नी का पता लगाया और उन्हें हादसे की जानकारी दी और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया.गोरेगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक दिलीप भोसले ने कहा कि गेमरे और इंगले बाइक पर कहां जा रहे थे? ये अभी तक समझ में नहीं आया है. हालांकि, अनुमान लगाया जा रहा है कि बाइक पर से नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ होगा. पुलिस ने अचानक हुई मौत का मामला दर्ज किया है. हालांकि, मृतकों में यह बाइक कौन चला रहा था, इसकी तलाश जारी है. गोरेगांव पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, ह्यइसलिए, हमने अभी तक लापरवाही का मामला दर्ज नहीं किया है.'

विरार रेलवे स्टेशन पर मारपीट, रेलवे ब्रिज पर महिला पर चाकू से हमला

वसई : आरती यादव हत्याकांड अभी ताजा ही था कि विरार में भी ऐसी ही एक घटना हो गई। विरार रेलवे स्टेशन के फुटब्रिज पर 27 साल की एक महिला पर चाकू से हमला किया गया. हमला उसके पति ने किया था और यात्रियों की मदद से उसे पकड़ लिया गया। फिलहाल महिला का विरार के संजीवनी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 27 वर्षीय महिला विरशी पर काम करने के लिए विरार रेलवे स्टेशन आई थी। सुबह करीब 7 बजे वह विरार स्टेशन के साउथ ब्रिज (एफओबी) पर टहल रही थी, तभी पीछे से आए उसके पति ने उसे चाकू मार दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. स्थानीय यात्रियों की मदद से रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने आरोपी शिव शर्मा को हिरासत में ले लिया. उसे वसई रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया है। घायल महिला का विरार के संजीवनी अस्पताल में इलाज चल रहा है. रेलवे पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर (अपराध) तुम्बाडा ने कहा कि हम महिला का बयान दर्ज करेंगे और मामला दर्ज करेंगे.

मंत्रालय में नौकरी दिलाने का दावा कर कल्याण के चार लोगों से ठगी !

कल्याण: पूर्वी कल्याण के जिमी बाग इलाके में रहने वाली एक 47 वर्षीय महिला ने दो चचेरे भाइयों और तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर रुपये की उगाही की. भुगतान के चार साल बाद भी नौकरी नहीं मिली, लेकिन पैसे वापस नहीं मिलने पर ठगे गए नागरिकों ने कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. ठगे गए शिकायतकर्ताओं के नाम मुक्ता लक्ष्मण चंदेलकर (47), मनोज यशवंत देवलेकर, प्रशांत संभाजी चंदेलकर, उमेश विरजी वेगड़ा हैं। शिकायतकर्ता मुक्ता चंदेलकर कल्याण पूर्व के जिमी बाग इलाके में रहती हैं। वह एक जेरॉक्स और टाइपिंग सेंटर चलाती हैं। इससे मिलने वाले पैसे से वे अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। आरोपियों के नाम हैं-घनश्याम हिरामन धाड़े, जयवंत पशते। पुलिस ने बताया कि आरोपी घनश्याम धाड़े मंत्रालय का परिचित है. उसने चार साल पहले शिकायतकर्ता मुक्ता चंदेलकर सहित तीन लोगों को बताया था कि उसने मंत्रालय में कई लोगों को नौकरी पर रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बदले में वरिष्ठ अधिकारियों, बिचौलियों को पैसे देने होंगे. मुक्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पैसे देकर नौकरी पाने की तैयारी की। पिछले चार साल के दौरान धाड़े और पशते ने मुक्ता से 11 लाख 65 हजार रुपये, मनोज देवलेकर से 18 लाख 12 हजार रुपये, प्रशांत से 5 लाख 6 हजार रुपये और उमेश से 4 लाख 88 हजार रुपये वसूले. इस तरह आरोपियों ने चार लोगों से 39 लाख 79 हजार रुपये वसूल लिए। पैसे लेने के बाद शिकायतकर्ता आरोपी से नियुक्ति पत्र की मांग करने लगा। आरोपी बाहर हैं. वे छुट्टी पर होने का झूठा बहाना बनाकर टालमटोल करने लगे। ऐसे ही कारण बताते-बताते आरोपी को चार साल बीत गए।

दो दिन में पेड़ गिरने से दूसरी महिला की मौत

परेल में पेड़ गिरने से महिला की मौत !

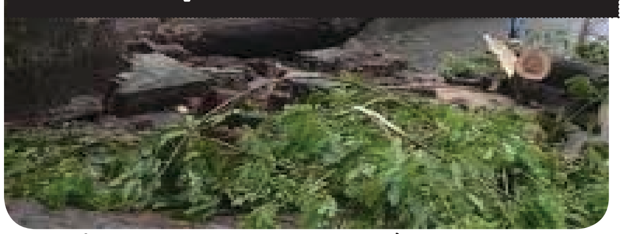

मुंबई : मुंबई 57 वर्षीय बेघर महिला वर्षा मिस्त्री की मंगलवार सुबह परेल बस डिपो पर एक बड़ा बरगद का पेड़ उखड़कर उनके ऊपर गिर जाने से मौत हो गई, रिचा पिंटो ने बताया। यह घटना सोमवार को वर्ली बीडीडी चॉल इलाके में एक बड़े बरगद के पेड़ का एक हिस्सा स्कूटर सवार अमित जगताप (45) के सिर पर गिरने से हुई मौत के 24 घंटे बाद हुई। परेल का पेड़ सुबह करीब 10 बजे मिस्त्री पर गिर गया, जो वहां से गुजर रही थीं, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। संजय नगर के पास के निवासी उनकी मदद के लिए दौड़े। आखिरकार उन्हें पेड़ के नीचे से निकालने और अस्पताल ले जाने में करीब 30 लोगों की मशक्कत करनी पड़ी, जहां उनकी मौत हो गई।

सोमवार को बीडीडी चॉल इलाके के पास एक पेड़ गिरने से अमित जगताप (45) गंभीर रूप से घायल हो गए। पेड़ों के गिरने से जुड़े जोखिमों को कम करने के महत्व पर जोर देते हुए, यह घटना जागरूकता और समय पर कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल और जन जागरूकता अभियान लागू करना महत्वपूर्ण है।

मालाबार हिल के निवासियों ने बीएमसी के ठेकेदारों की आलोचना की है कि वे दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण पेड़ों की कथित कटाई हो रही है। मैराथन धावक क्रांति साल्वी ने पेड़ों की छंटाई में असंतुलन के बारे में चिंता जताई है।

बीएमसी डी वार्ड अधिकारी उगाडे ने शिकायतों की निगरानी करने का संकल्प लिया है, जबकि कार्यकर्ता भथेना ने पेड़ों की छंटाई के नियमों पर जोर दिया है। निवासियों ने सोशल मीडिया पर विस्तृत जानकारी की मांग की है, क्योंकि गार्डन अधीक्षक परदेशी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कार्यकर्ता वेरहेन खन्ना ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में पेड़ों की अत्यधिक छंटाई के खिलाफ चेतावनी दी है, शहरी वातावरण में पेड़ों के स्वास्थ्य और संतुलन के महत्व पर जोर दिया है।

सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप.. फिर दोस्त ने की हैवानियत

ठाणे: सोशल मीडिया पर दोस्ती खतरनाक साबित हो रही है। कई लोग अनजान लोगों की मीठी-मीठी बातों में फंसकर अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं। खासकर, लड़कियों के साथ ऐसी घटनाए अधिकतर सामने आती रहती हैं। ताजा मामला ठाणे जिले का है। जहां, पुलिस ने 17 वर्षीय एक लड़की के बलात्कार के आरोप में उसके पड़ोस में रहने वाले 24 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी और पीड़िता दोनों बदलापुर इलाके में एक ही इमारत में रहते हैं और दोनों 2021 में सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' के जरिए दोस्त बने थे।

बदलापुर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अक्टूबर 2021 से जून 2024 के बीच किशोरी से कथित रूप से बलात्कार किया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लीं। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने की धमकी दी और कई बार उससे बलात्कार किया।

अधिकारी ने बताया कि इस उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता ने अंततः पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर रविवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच जारी है।

नाबालिग ने खाई चूहा मारने वाली दवा

नवी मुंबई : मौसी के मार के बाद एक 16 वर्षीय बच्चे ने चूहा मारने वाली दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है।

इस मामले में बीकेसी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है, जबकि बच्चे का उपचार शुरू है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन 16 वर्षीय नाबालिग अपनी मौसी के साथ दादर में रहता था। कुछ दिन पहले मौसी ने उसे किसी काम के लिए कहा था लेकिन बच्चे ने जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसकी मौसी ने उसे मार दिया था।

मानव तस्करी में नौसेना का एक और अफसर प्रेमिका समेत गिरफ्तार

मुंबई : मानव तस्करी रैकेट के मामले में भारतीय नौसेना के एक और वरिष्ठ अधिकारी को उसकी प्रेमिका को मुंबई क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (सीआइयू) ने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों के साथ जम्मू और कश्मीर के दो निवासियों को भी सीआइयू ने अपनी गिरफ्त में लिया है।

यह भारतीय अफसर पिछले डेढ़ साल से इस रैकेट में शामिल है और विदेश भेजने के लिए हर व्यक्ति से 10-12 लाख रुपये वसूलता रहा है। आवेदन करने वाले लोग इन अफसरों के मार्फत दक्षिण कोरिया इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहां अन्य देशों के मुकाबले अधिक वेतन मिलता है। इस रैकेट में नौसैनिक अधिकारियों के शामिल होने से लोग उन पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। मानव तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया

कुछ ही दिन पहले सीआइयू ने भारतीय नौसेना की छवि को दागदार करने वाले मानव तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया जिसमें लोगों को फर्जी तरीके से दक्षिण कोरिया भेजने के मामले में लेफ्टिनेंट कमांडर विपिन डोगरा को गिरफ्तार किया गया।

उनसे पूछताछ के आधार पर शुक्रवार को एक और वरिष्ठ नौसैनिक अफसर सब-लेफ्टिनेंट कमांडर ब्रह्मा ज्योति शर्मा (29) और पुणे निवासी उनकी प्रेमिका सिमरन जेती को गिरफ्तार किया जो विदेशी भाषाएं पढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा, दो अन्य नागरिकों को जम्मू और कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है।

आरोपित शर्मा के खाते में 1.65 करोड़ रुपये से अधिक की रकम मिली है। प्रेमिका जेती ने अपने परिवार के लोगों के नाम से कई खाते खुलवाए हैं जिसमें करीब 47 लाख रुपये हैं। इन्होंने भारतीयों को अवैध तरीके से दक्षिण कोरिया भेजने के लिए तोषा इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी भी बनाई थी।

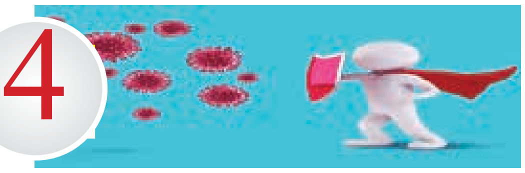

पुणे जिले में नाले में गिरी कार पांच लोगों की दर्दनाक मौत!

पुणे : महाराष्ट्र के पुणे जिले में पुणे-सोलापुर राजमार्ग पर मंगलवार को एक कार के सड़क से फिसलकर नाले में गिर जाने से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी । पुलिस ने बताया कि यह घटना भिगवान पुलिस थाने के अंतर्गत दलाज गांव के पास हुई। पुलिस के अनुसार, कार में सवार छह लोग मुंबई से तेलंगाना जा रहे थे, तभी अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे उनकी कार नाले में गिर गई। कार में सवार सभी लोगों की उम्र 20 वर्ष के आसपास है।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ''मुंबई में सैर-सपाटा करने के बाद छह लोग कार से अपने गृह राज्य तेलंगाना लौट रहे थे। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि भारी बारिश के कारण सड़क पर फिसलन होने से चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा।'' उन्होंने बताया कि कार में सवार छह लोगों में से पांच की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस दुर्घटना की विस्तृत जांच कर रही है।

सत्संग सामूहिक मौत में तबदील!

उप्र के हाथरस जिले में कथित भोले बाबा का सत्संग सामूहिक मौत में तबदील हो गया। सत्संग एक स्वयंभू बाबा का था, जिनके श्रद्धालुओं में मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, अफसर भी शामिल हैं। हाथरस जिले के सत्संग में तब भगदड़ मच गई, जब गरीब, आम आदमी, महिलाएं आदि भक्त 'भोले बाबा' के पांव छूना चाहते थे। वह आस्था थी या धर्मान्धता थी, हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक औसत इनसान 'भगवान' नहीं हो सकता। सत्संग की भीड़ में बाबा का आशीर्वाद लेने की होड़ लगी थी। वह होड़ ही भगदड़ में तबदील हो गई। वहां कुछ फिसलन थी, गड्ढा था, लिहाजा लोग फिसल कर एक के ऊपर एक गिरने लगे। वे आपस में रौंद भी रहे थे। भीड़ में इतनी हड़बड़ी थी कि लोगों ने इनसानों को ही कुचल दिया। अंततः सत्संग 121 मौतों के साथ त्रासदी में बदल गया। करीब 35 घायल हो गए और 20 लापता बताए गए हैं। ये आंकड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। कितने घर अनाथ हो गए। कितने घरों की 'देवियां' नहीं रहीं। बताया गया है कि 108 महिलाओं की मौत हुई है। सवाल यह है कि क्या कथित 'भोले बाबा' और उनके सेवादार आयोजकों के खिलाफ 'गैर इरादतन हत्या' का केस दर्ज किया गया है अथवा कोई संभावना है? मुख्य सेवादार और कुछ अन्य पर प्राथमिकी तो दर्ज की गई है। प्राथमिकी में 'भोले बाबा' का नाम क्यों नहीं है?

बताया जाता है कि करीब 1.25 लाख की भीड़ सत्संग में आई थी। दूसरा पक्ष 2.5 लाख की भीड़ का दावा कर रहा है। संख्या को लेकर राज्य के मुख्य सचिव, इलाके के आईजी, डीएम और एसडीएम आदि के अलग-अलग बयान हैं। सवाल हैं कि यदि स्थानीय प्रशासन ने सत्संग की अनुमति दी थी, तो क्या पर्याप्त बंदोबस्त देखे गए थे? जल, चिकित्सा, दवाई, डॉक्टर, एम्बुलेंस और प्रवेश-निकास दरवाजों आदि की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया था? क्या पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था? एडीजी ने दावा किया है कि मौके पर 40 पुलिस वाले थे। क्या इतनी भीड़ के लिए 40 पुलिस वाले पर्याप्त थे? क्या छोटे से गांव में भीड़ का सैलाब देखकर प्रशासन और पुलिस सतर्क नहीं हुए, लिहाजा बंदोबस्त नहीं किए जा सके। एसडीएम दफ्तर का कहना है कि 50 हजार की भीड़ बताई गई थी, लेकिन 80 हजार से ज्यादा लोग पहुंच गए। स्थानीय पुलिस का कहना है कि हमें कार्यक्रम का जो पत्र मिला था, उसमें भीड़ का कॉलम खाली था। राज्य के सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के बयान कुछ और ही हैं। प्रशासन के स्तर पर ये विरोधाभास क्यों हैं? आखिर किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है? ऐसे धार्मिक और बाबाओं के आयोजनों में लोग आस्था और कष्टनिवारण की भावना से आते हैं। बेशक धर्मगुरु हों, सामाजिक नेता हों, प्रभावी लोग या आयोजक, हजारों-लाखों की भीड़ जुटा कर उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ देते हैं। सरकारें और प्रशासन भी इन कथित बाबाओं पर हाथ नहीं डालते। कोरोना महामारी के दौरान इसी 'भोले बाबा' ने उप्र के फरुर्खाबाद में सत्संग किया था। उसमें भी खूब भीड़ जुटाई गई थी। सरकार और प्रशासन ने उस सत्संग की इजाजत कैसे दे दी थी?

घटनास्थल का दृश्य इतना भयावह, हृदयविदारक, विचलित करने वाला था कि एक पुलिस कर्मी रवि यादव को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। हम कथित बाबा को बुनियादी गुनहगार मानते हैं। वह और उनके सेवादार तो अस्पताल तक नहीं पहुंचे कि उनके श्रद्धालु जीवित हैं अथवा दिवंगत हो चुके हैं! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में हादसे की रपट मांगी थी। वह उन्हें मिल चुकी होगी! वह खुद घटनास्थल पर पहुंचे और अस्पताल में घायलों का हाल-चाल पूछा। बाबा कहां हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं। वह कब तक भूमिगत रहेंगे?

ठाणे में नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

ठाणे: ठाणे के एक कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक दिव्यांग समेत दो लोगों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने साल 2019 में 12 वर्षीय किशोरी का दो महिने में कई बार योन शोषण किया था। एक कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषियों ने बच्ची का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, जो अपूरणीय क्षति है।

ठाणे की विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज रूबी यू मालवंकर ने 29 जून को मामले में आदेश परित करते हुए दोनों दोषियों पर 26-26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट के आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई। विशेष पॉक्सो कोर्ट की

जज ने दोषियों से मिलने वाली जुमार्ने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़िता को मुआवजा देने के लिए फैसला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के पास भेजने के भी निर्देश दिए। विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता और उसके भाई-बहन महाराष्ट्र के ठाणे शहर के कलवा इलाके में अपने दादा-दादी के साथ रहते थे।

अक्टूबर 2019 में पीड़िता अपनी सहेली के साथ एक पार्क में गई, जहां एक आरोपी ने उसे लालच दे कर फुसलाया। आरोपी ने शारीरिक रूप से दिव्यांग दूसरे आरोपी के घर ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और शोर मचाने पर उसका मुंह बंद कर दिया। आरोपी ने उसे अपराध के बारे किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसने पीड़िता को धमकाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। तीन दिसंबर 2019 को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आरोपियों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। जज ने आदेश में कहा, ''अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, अपराध में दोनों आरोपियों की संलिप्तता स्पष्ट है।''

नागपुर में संदेहास्पद मौत से मचा बवाल, लोगों ने किया पुलिस थाने का घेराव

नागपुरः नागपुर के वाड़ी परिसर के न्यू म्हाड़ा एलआईजी कॉलोनी में मंगलवार को एक व्यक्ति की संदेहास्पद मौत से बवाल मच गया है। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति से रात में 5 लोगों ने मारपीट की थी। वहीं, दूसरे दिन वह मृतावस्था में पाया गया। पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जिसके बाद रिश्तेदार और लोगों द्वारा थाने के बाहर हंगामा करने का बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

बताया जा रहा है कि लोगों द्वारा दबाव बनाने के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी का बयान दर्ज किया। मृतक की पहचान राजेश राघव तिवारी (40) के रूप में हुई है। राजेश ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर अपना परिवार चलाते थे। राजेश की पत्नी सोहानी तिवारी (31) के अनुसार सोमवार रात 12.30 बजे के दौरान तेजप्रताप, करण और 3 अज्ञात युवक ने उनके घर पर दस्तक दी। राजेश ने दरवाजा खोला तो आरोपियों ने उन्हें साथ बाहर चलने को कहा। 5 मिनट में आता हूं कहकर राजेश बाहर गए। आधे घंटे तक घर नहीं लौटे तो सोहानी बाहर निकली।

आरोपियों ने राजेश को बेरहमी से पीटा

इस दौरान उसने देखा कि पांचों आरोपी राजेश को बुरी तरह पीट रहे थे। इससे सोहानी भयभीत हो गई। पांचों युवकों ने अधमरे हालत में राजेश को घर के भीतर ला कर सुला दिया और कहा कि कुछ देर बाद होश आ जाएगा। आरोपी यहीं नहीं रुके, उन्होंने राजेश की पत्नी सोहानी को धमकाते हुए चाय बनाने को कहा। उनके साथ आपत्तिजनक बातें कीं। सोहानी ने उनसे मारपीट का कारण पूछा तो अभी मारा नहीं है पैसे नहीं मिले तो और मारेंगे कहकर आरोपी चले गए। बाद में जांच करने पर राजेश के होठों से खून निकलता दिखाई दिया। पीठ पर भी जख्मों के निशान थे और कंधा सूजा हुआ था। डर के मारे सोहानी ने किसी को कुछ नहीं बताया।

पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी

हालांकि, मंगलवार की सुबह राजेश को जगाने गई तो उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया, लेकिन सोहानी का बयान दर्ज नहीं किया गया।

अमरावती में ACB की बड़ी कार्रवाई, PWD के रिश्वतखोर उपविभागीय अधिकारी और अभियंता गिरफ्तार

अमरावती. सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपविभागीय अधिकारी और एक कनिष्ठ अभियंता को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने गिरफ्तार किया है। उपविभागीय अधिकारी का नाम सुनील विट्ठल मेश्राम (54, गोविंद रॉयल रेजीडेंसी, एसओएस स्कूल के पास, अमरावती) और अभियंता वृषभ गजानन किटकुले (28, अर्जुन नगर, अमरावती) है।

1 लाख रुपये मांगी थी रिश्वत

सूत्रों के अनुसार ठेकेदार ने लोक निर्माण विभाग के विशेष प्रोजेक्ट में नांदगांव खंडेश्वर में नाली का निर्माण किया था। उपविभागीय अधिकारी सुनील विट्ठल मेश्राम और कनिष्ठ अभियंता वृषभ गजानन किटुकले ने निर्माण बिल की मंजूरी के बदले ठेकेदार से 1 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की। ठेकेदार ने 28 जून को एसीबी में शिकायत दर्ज करायी थी।

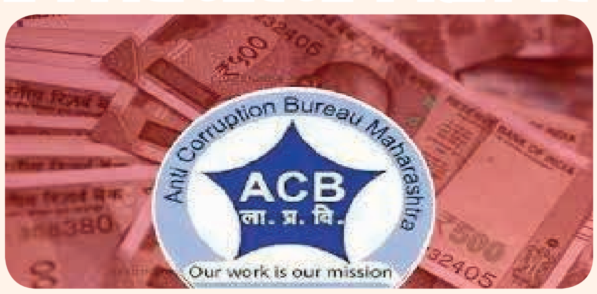

72,000 रु. देना तय हुआ

इसके बाद पैनल के समक्ष एसीबी टीम द्वारा किए गए सत्यापन के दौरान उपविभागीय अधिकारी सुनील मेश्राम और वृषभ किटुकले ने ठेकेदार से रिश्वत की मांग की थी। आरोपी लोक सेवक समझौते के बाद 72 हजार की रिश्वत लेने को तैयार हो गये। फिर एसीबी ने अमरावती में लोक निर्माण प्रादेशिक विभाग के परिसर में जाल बिछाया और वृषभ किटुकले को 42 हजार और सुनील मेश्राम को 30 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मारुति जगताप के मार्गदर्शन में पुलिस उपअधीक्षक मिलिंदकुमार बहाकार, मंगेश मोहोड़ के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक केतन मांजरे, प्रवीणकुमार पाटिल, चित्रा मेसरे, पुलिस कांस्टेबल महेंद्र साखरे, वैभव जायले, उमेश बोपते, अभिजीत उमक ने की।

327 करोड़ की ड्रग्स जब्त ! अंडरवर्ल्ड का हाथ...

भायंदरः मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की केंद्रीय अपराध शाखा ने देश भर में ड्रग्स बनाने और बेचने वाले एक बड़े गिरोह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है। कुल 327 करोड़ का स्टॉक जब्त किया गया है और अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पता चला कि इस गैंग को अंतरराष्ट्रीय आतंकी दाऊद इब्राहिम का सरगना सलीम डोला चलाता है.

लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान पुलिस शहर में नाकाबंदी कर रही थी। इसी समय 15 मई को क्राइम ब्रांच 1 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविराज कुराडे को गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति शोएब मेमन और निकोलस मीरा भायंदर में ड्रग्स बेचने आ रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने घोड़बंदर के चेना इलाके में जाल बिछाया और आरोपियों को हिरासत में लिया. इसमें पुलिस को आरोपियों के पास से दो करोड़ की कीमत का करीब एक किलो एमडी ड्रग्स मिली. पुलिस ने जब उक्त आरोपियों से पूछताछ की तो जानकारी सामने आई कि आरोपी ये ड्रग्स तेलंगाना से लेकर आए थे, इसलिए पुलिस की एक टीम इन ड्रग्स का स्टॉक तैयार करने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए तेलंगाना के विकाराबाद जिले में गई थी. इसमें से आरोपी नासिर उर्फ बाबा शेख और दयानंद उर्फ दया माणिक को गिरफ्तार किया गया और 25 करोड़ का एम. डी और फैक्ट्री को पुलिस ने जब्त कर लिया। इस समय आगे की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि एक बड़ा ड्रग गिरोह सक्रिय था। इसके बाद वाराणसी, महाराष्ट्र और गुजरात में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया. इस मामले में यह साफ हो गया है कि पैसों

के लेन-देन और अन्य मामलों में सलीम डोला ही अंतरराष्ट्रीय आतंकी दाऊद इब्राहिम का सरगना है. डी को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा आरोपियों के पास से तीन पिस्तौल, एक रिवॉल्वर और 33 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए. इस कार्रवाई को पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविनाश कुरहाडे और उनकी टीम ने अंजाम दिया है.

व्यापार का मुख्य केंद्र गुजरात है

ड्रग गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए यह बात सामने आई कि अंतरराष्ट्रीय आतंकी दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला गुजरात के सूरत के एक कारोबारी जुल्फिकार उर्फ मुर्तजा कोठारी के जरिए मनी ट्रांसफर की डील कर रहा था. इसलिए पुलिस ने कोठारी को हिरासत में ले लिया है और उसके पास से 10 लाख कैश जब्त कर लिया है. साथ ही जांच में पता चला है कि यह रकम मुंबई के मुस्तफा फर्नीचर वाला द्वारा अंगड़िया (हवाला) के जरिये भेजी जा रही है.

घटनाओं का एक क्रम

शोएब मेमन और निकोलस टाइटस ने आरोपी को 15 मई को चेना (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार किया और 1 किलो एमडी जब्त किया।

17 मई को दयानंद उर्फ दया मलिक और नसीर उर्फ बाबा शेख को तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया और 103 ग्राम पाउडर और 25 किलो कच्ची एमडी (25 करोड़ रुपये कीमत) जब्त की गई।

दयानंद द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के घनश्याम सरोज और मोहम्मद शकील को तेलंगाना में गिरफ्तार किया गया. 90 ग्राम मी. डी को जब्त कर लिया गया।

साथ ही 27 मई को आरोपी भरत उर्फ बाबू जाधव को महाराष्ट्र के वाशिंद से गिरफ्तार किया गया और एमडी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जब्त की गई।

31 मई को गुजरात के सूरत से कारोबारी जुल्फिकार उर्फ मुर्तजा कोठारी को गिरफ्तार किया गया, साथ ही मुंबई से मुस्तफा फर्नीचर वाला को भी गिरफ्तार किया गया.

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ड्रग तस्कर बाबू खान, मोहम्मद खान और अहमद शाह को गिरफ्तार किया गया

25 जून को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आमिर खान, मोहम्मद शादाब और वीरेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था.

आमिर खान के मुताबिक अभिषेक सिंह को 1 जून को नालासोपारा से गिरफ्तार किया गया था.

ठाणे स्टेशन पर 34 कैमरे बंद, निगरानी के अभाव से रेल यात्रियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान

ठाणेः यात्रियों की सुरक्षा के लिए ठाणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगे 170 सीसीटीवी कैमरों में से 34 कैमरे पिछले कई हफ्तों से बंद होने का खुलासा हुआ है. जिन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, वहां पुलिस को किसी भी घटना, दुर्घटना या हादसे की फुटेज हासिल करने में दिक्कत हो सकती है. डेढ़ साल पहले रेलवे पुलिस ने रेलवे प्रशासन से स्टेशन में 50 सीसीटीवी कैमरे लगाने का अनुरोध किया था. वह भी अब तक पूरा नहीं हो सका है. इस संबंध में मध्य रेलवे के जनसंपर्क विभाग से संपर्क नहीं हो सका. प्रतिदिन लगभग सात लाख यात्री ठाणे स्टेशन से आते-जाते हैं। उपनगरीय ट्रेनों के साथ-साथ प्रतिदिन 2500 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनें रवाना होती हैं। ठाणे स्टेशन हमेशा व्यस्त रहता है.

पुलिस हमेशा भीड़भाड़ के समय जेबकतरों और मोबाइल फोन चोरों से सावधान रहने की अपील करती है। ऐसी घटनाओं में पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा भीड़ में अक्सर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं. अक्सर यात्रियों के बीच झड़प होती रहती है। कई बार टिकट जांच में छेड़छाड़ भी हो जाती है. उन पर हमला करने के बाद कुछ भाग जाते हैं.

महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी अक्सर सामने आती रहती हैं. इन सभी चीजों पर नजर रखने के लिए फिलहाल स्टेशन में 170 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. पुलिस और नगर पालिका की ओर से स्टेशन के बाहर के क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। हालाँकि, रेलवे के खराब प्रबंधन के कारण स्टेशन वर्तमान में पूरी तरह से सीसीटीवी से कवर नहीं है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में कैमरे रहित इलाकों में कोई हादसा, हादसा होने पर आरोपियों का पता लगाना मुश्किल होगा।

काम से लौट रही लड़की से छेड़छाड़...

वसई रेलवे स्टेशन इलाके की घटना, 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार

वसईः वसई रेलवे स्टेशन इलाके में एक चौंकाने वाली घटना घटी है, जहां देर रात काम से लौट रही एक 32 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई. मानिकपुर पुलिस ने घटना की त्वरित जांच की और 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

वसई रोड रेलवे स्टेशन एक व्यस्त रेलवे स्टेशन है और यह क्षेत्र महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसलिए महिलाएं देर रात तक ट्रेन से यात्रा करती हैं। बहरहाल, रेलवे स्टेशन क्षेत्र में एक और युवती से छेड़छाड़ से हड़कंप मच गया है. पीड़िता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वसई के अंबाडी रोड इलाके में रहती है। चूंकि यह इलाका नजदीक

है, इसलिए वह पैदल ही घर चली जाती है। रात वह रोजाना की तरह देर रात वसई रोड स्टेशन पर उतरीं। रात करीब 1.30 बजे वह तुंगारेश्वर सड़क से गुजर रही थी तभी एक इस्मा ने उसे रोका। उसने उसे जबरदस्ती नीचे गिराया और उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद उसने इस युवती का महंगा फोन लिया और भाग गया. गिरने से उसे चोट लगी थी. नवघर स्वास्थ्य केंद्र में उसका प्राथमिक उपचार किया गया।

इस घटना की जानकारी जैसे ही मानिकपुर पुलिस को मिली तो एक विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई. इलाके में सीसीटीवी चेक कर आरोपी का पता लगाया गया। आरोपी संदीप खोत (35) को नालासोपारा से गिरफ्तार किया गया. उनके खिलाफ मुंबई में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. मानिकपुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजू माने ने बताया कि आगे की जांच जारी है।

पनवेलः राह चलती महिला का मंगलसूत्र चोरी

पनवेलः सूकापुर के मालेवाड़ी इलाके में एक महिला के गले से मंगलसूत्र सोमवार शाम 4.30 बजे दोपहिया वाहन पर चोरों ने चोरी कर लिया. इस घटना से सड़क पर चलने वाली महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है. घटना सोमवार को खंडेश्वर पुलिस स्टेशन में हुई. पीड़ित महिला ने बाकायदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. कार्तिक्य अपार्टमेंट में रहने वाली 34 वर्षीय महिला शाम 4:30 बजे सोसायटी के प्रवेश द्वार पर टहल रही थी, तभी 30 से 35 साल की उम्र का एक चोर बाइक पर आया। उसने दोपहिया वाहन को पीड़िता के सामने क्षैतिज रूप से खड़ा कर दिया और पीड़िता के गले से 60,000 रुपये का मंगलसूत्र छीन लिया और वहां से भाग गया। रहवासियों का आरोप है कि खंडेश्वर पुलिस इलाके में तब तक नहीं घूमती जब तक रहवासियों द्वारा पुलिस को नहीं बुलाया जाता, जब तक कोई अप्रिय घटना न हो जाए।

पत्नी के अनैतिक संबंध के कारण पति ने की आत्महत्या

भयंदरः पत्नी के अनैतिक संबंध और उसके दोनों बच्चों के साथ चले जाने से निराश होकर एक बिजनेसमैन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस बात का खुलासा उनके सुसाइड से पहले लिखे नोट से हुआ है। इस मामले में नवघर पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है.

मृतक व्यापारी की पहचान ललित भगवतीलाल जैन (37) के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी अनु जैन और 6 और 13 साल की बेटियों के साथ मीरा रोड के रामदेव पार्क में अन्नपूर्णा बिल्डिंग में रहते थे। पिछले कुछ सालों से दोनों के रिश्ते में तकरार चल

रही थी. ललित की पत्नी अनु का शिव सिंह नाम के इस्मा से अफेयर था। अनु पहले भी दो बार घर छोड़ चुकी थी. पिछले हफ्ते अनु जैन एक बार फिर अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गईं. उन्होंने अपने पति ललित के खिलाफ वालीव पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी. 24 जून को पुलिस ने ललित को भी पूछताछ के लिए बुलाया था. घर आने के बाद से ललित तनाव में था। 25 जून को ललित ने अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

आत्महत्या से पहले उसने एक नोट लिखकर अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी अनु और उसके प्रेमी शिव को जिम्मेदार ठहराया था. ललित के पिता भगवती जैन (62) ने नवघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके अनुसार जांच अधिकारी राहुल सालुंखे ने बताया कि मृतक लाली की पत्नी अनु और उसके प्रेमी शिव सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 306, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

अंधेरी में अस्पताल की दीवार गिरने से मजदूर की मौत !

मुंबई : अंधेरी ईस्ट के एक निजी अस्पताल में काम करते समय दीवार का एक हिस्सा गिरने से 22 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक सिरोया बिल्डिंग में नेक्सस अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर एक अंदरूनी दीवार हटा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। ठेकेदार और अन्य मजदूरों ने उसे कूपर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे गंभीर चोटों के कारण मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के पिता राजू माली (42) की शिकायत के आधार पर सहार पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदार रज्जाक शेख ने साइट पर मजदूरों को हेलमेट या अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए थे। गौतम के सिर में गंभीर चोटें आईं, क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था।

सहार पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया है। माली ने बताया कि वह और उसका बेटा गौतम ठेकेदार रज्जाक अब्दुल शेख के साथ मजदूर के तौर पर काम करते थे। यह घटना 3 जुलाई को दोपहर करीब 3:50 बजे हुई, जब गौतम अस्पताल में दीवार गिरा रहे थे। टूटी हुई दीवार का एक हिस्सा उनके ऊपर गिर गया और उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं। ठेकेदार और अन्य मजदूरों ने उन्हें बेहोशी की हालत में कूपर अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें भर्ती करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया।परिवार को सूचित किया गया और गौतम के माता-पिता और बहन अस्पताल पहुंचे।

ठाणे के वर्तक नगर में कुत्ते को परेशान करने के मामले में एफआईआर दर्ज

ठाणे : ठाणे के वर्तक नगर में 28 जून को एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर एक कुत्ते के साथ यौन दुर्व्यवहार करने के पांच दिन बाद वर्तक नगर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) के तहत मामला दर्ज किया है। पशु अधिकार कार्यकर्ता सुशांत तोमर ने पहले वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने के लिए संघर्ष किया था क्योंकि नया आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), जिसने 1 जुलाई को आईपीसी की जगह ली थी, में कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है जो अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए सजा निर्धारित करता है। बीएनएस की धारा 325 के तहत, केवल तभी मामला दर्ज किया जा सकता है जब आरोपी किसी जानवर को मार देता

है या उसे लकवा मार देता है। तोमर के मुताबिक, आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले एक देखभालकर्ता ने ठाणे के वर्तक नगर इलाके में लापता कुत्तों में से एक को खोजा।

जानवर की खोज करते समय, देखभालकर्ता को क्षेत्र में एक हाउसिंग सोसाइटी का बाथरूम अंदर से बंद मिला 15 मिनट तक बाथरूम का दरवाजा पीटने के बाद, देखभाल करने वाले और सोसाइटी के चौकीदार ने कथित तौर पर नशे में धुत एक व्यक्ति को दरवाजा खोलने और कुत्ते को छोड़ने के लिए राजी कर लिया। कुत्ते को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने कहा कि जानवर के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। तोमर ने वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज सहित सबूत उपलब्ध कराने के बावजूद वे असफल रहे। हालांकि, जब एचटी ने पूर्वी क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विनायक देशमुख से बात की, तो उन्होंने कहा कि आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है क्योंकि यह घटना पिछले महीने हुई थी। घटना की सूचना मिलने के पाँच दिन बाद, पुलिस ने आखिरकार कार्रवाई की। तोमर ने कहा, ''पुलिस ने अपने नियमों के अनुसार सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं और आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हम उनके आभारी हैं।''

सीबीआई-ईडी का डर दिखाकर बुजुर्ग से ठगी!

मुंबई : साउथ सायबर पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ जेट एअरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के अकाउंट से शिकायतकर्ता के अकाउंट में पैसे आने का डर पैदाकर, उनसे धोखाधड़ी करने के मामले एफआईआर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता को सीबीआई और ईडी अधिकारी का डर बताकर 76 वर्षीय व्यवसायी से आरोपियों ने 2.18 करोड़ रुपये ऐंठ लिए, मामले की जांच साउथ सायबर पुलिस द्वारा की जा रही है। सायबर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता एक व्यवसायी है, जो अपनी पत्नी के साथ नेपियन सी रोड इलाके में रहता है और रे रोड पर एक व्यवसाय संचालित करते है। पुलिस को दी गई। उनकी शिकायत के अनुसार, उन्हें 11 अप्रैल को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बांद्रा क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी संदीप राव के रूप में बताया और दावा किया कि शिकायतकर्ता के नाम और आधार कार्ड का उपयोग करके एक के सिम कार्ड खरीदा गया था।

रूम दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला ठग गिरफ्तार

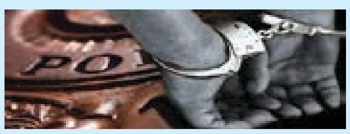

वसई : वसई विरार क्षेत्र में नागरिकों को चाली में रूम दिलाने का प्रलोभन देकर उनसे 1,15,00,000 रुपए वसूलने के आरोप में माणिकपुर पुलिस स्टेशन की अपराध जांच शाखा सफल रही है। आरोपी से पुलिस ने दो अपराध सुलझा लिया है। डीसीपी (परिमंडल 2), पौर्णिमा चौगुले श्रींगी व एसीपी पद्मजा बडे के मार्गदर्शन में माणिकपुर थाने के सीनियर पी.आई. राजु माने व क्राइम पी.आई. संतोष चौधरी के नेतृत्व में अपराध जांच शाखा के पो.उ.नि.सनिल पाटील व पो.उ.नि. सागर साबले की टीम ने कार्रवाई की है। माणिकपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 25 अगस्त 2020 से 15 मार्च 2024 के बीच यह कहकर कि, वह शिकायतकर्ता और साक्षीदार के लिए चाली में रूम बनवाएगा। समय-समय पर बैंक खाते के माध्यम से शिकायतकर्ता एवं साक्षीदार के खाते से 7,00,000 रूपए प्राप्त किए। उसने चाली में रूम न दिलाकर शिकायतकर्ता और साक्षीदार को धोखा दिया। इस मामले में शिकायतकर्ता गणेश महादेव तापेकर की शिकायत पर माणिकपुर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

लाइसेंसिंग विभाग ने अवैध मांस विक्रेताओं पर की कार्रवाई... दुकान बंद कर भागे

कल्याण : नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से भैंस का मांस बेचने वाली दुकानों के खिलाफ मनपा के बाजार और लाइसेंसिंग विभाग द्वारा शुक्रवार को कार्रवाई की गई। सूचना है कि विनायक कॉलोनी चाल, कल्याण (पू) के पास विठ्ठलवाड़ी बस स्टैंड, रामनगर क्वारी हिल, नेतिवली, सुखतर नाका, गफूर डॉन स्कूल के पास, मेट्रो मॉल के सामने, कुछ दुकानदार नगर निगम से अनुमति लिए बिना भैंस का मांस बेच रहे हैं। संभाग के मंडी एवं अनुज्ञप्ति सहायक आयुक्त प्रसाद ठाकुर हैं। उक्त दुकानों पर कार्रवाई को लेकर विभाग के उपायुक्त अवधूत तावड़े के निर्देश पर शुक्रवार सुबह कार्रवाई की गयी।

सबसे पहले, विठ्ठलवाड़ी बस डिपो, विनायक कॉलोनी चाल के पास शौकत कुरेशी और उसके कर्मचारी अवैध रूप से मांस बेच रहे थे। इससे पहले शौकत कुरेशी का लाइसेंस नंबर डट 104 को मार्केट लाइसेंसिंग विभाग ने रद्द कर दिया है। बाद में नेतिवली के रामनगर खदान हिल में छापेमारी के दौरान दुकानदार अपनी दुकान बंद कर भाग गया। मेट्रो मॉल के सामने गफूर डॉन स्कूल के पास यूसुफ घौसु शेख की दुकान से 5 किलो मांस जब्त किया गया और उसे सील कर दिया गया है। इस अवसर पर प्रशांत धीवर,

प्रांजल बागड़े, सज्जाउद्दीन पीरजादे एवं पुलिस अधिकारी गणेश वाघमोड़े एवं कांगने उपस्थित थे। मांस बेचते समय महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। उपायुक्त अवधूत तावड़े ने कहा कि चूंकि उपरोक्त विक्रेताओं के पास कोई लाइसेंस नहीं है, इसलिए अवैध रूप से मांस बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अज्ञात महिला की हत्या...!

मुंबई: मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर मस्तान-नाका ओवरपास के पास शुक्रवार को एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। पालघर जिले के इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला का सिर पत्थर जैसी

किसी वस्तु से कुचला गया था। अनुमान है कि उसकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच होगी। घटनास्थल से एक स्कार्फ, एक छाता और जूते बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ठाणे/ दुकान में बुर्का पहनकर आई दो महिलाओं ने चुराए आभूषण...

भिवंडी : ठाणे रोड केसर बाग में स्थित किरण ज्वेलर्स नामक दुकान में ग्राहक के भेष में आई दो बुर्का धारी महिलाओं ने 8 लाख रूपए कीमत के सोने का आभूषण (कान व नाक की फुली) चोरी करने की घटना घटी है। ज्वेलर्स की दुकान चलाने वाले मंछालाल जसाजी चौहान ने इसकी शिकायत भोईवाडा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है।

पुलिस ने इस मामले में अज्ञात दो बुकाधारी महिलाओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कलम 305(अ), 3(5) के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मंछालाल जसाजी चौहान की ठाणे रोड़ के केशर बाग में किरण ज्वेलर्स नामक दुकान है। इस दुकान में एक जुलाई शाम साढ़े पांच बजे के दरमियान बुर्का पहनकर दो महिलाएं आई और सोने का आभूषण खरीदने के दरमियान दिशा भूलकर एक ट्रे से 200 नग सोने की फुली चोरी कर ली। चोरी किए गए गहनों की कीमत 8 लाख रुपए है। पुलिस ने शिकायत के बाद दो महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

ठाणे जिले में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म फिर कर दी हत्या!

ठाणे : ठाणे जिले में एक व्यक्ति ने एक 9 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भिवंडी क्षेत्र के शांति नगर पुलिस थाने के अंतर्गत गोविंद नगर निवासी अभय यादव (42) ने गुरुवार दोपहर बच्ची का कथित तौर पर अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका गला घोंट दिया। अधिकारी ने बताया कि राहगीरों द्वारा एक बच्चे के शव के बारे में सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही घंटों के अंदर यादव को गिरफ्तार कर लिया।

शांति नगर पुलिस ने गुरुवार को एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या कर शव को भवादह गांव के एक कुएं में फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया। कंचन दास (36) ने बुधवार को अपनी पत्नी लक्ष्मी दास (28) की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसके परिवार को बताया कि वह किसी के साथ भाग गई है। लेकिन जांच में उसकी संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भिवंडी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों मामलों में आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो सोमवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के स्थान पर लागू हुई है।

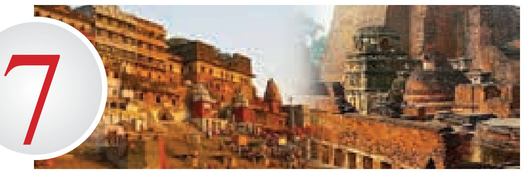

महाराष्ट्र में पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून

अधिकतम 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना...

मुंबई: देश भर में पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार की परीक्षाओं को फूलप्रूफ बनाने के लिए एंटी पेपर लीक बिल विधानसभा में पेश किया है। राज्य सरकार ने पेपर लीक रोकने के 10 साल तक जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार के मंत्री शंभुराज देसाई ने यह बिल पेश किया। महाराष्ट्र सरकार ने इस बिल को महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 नाम दिया है। विधानसभा और विधान परिषद में पारित होने के बाद इस बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार के आधीन आने वाले तमाम परीक्षाओं के लिए यह कानून लागू हो जाएगा।

परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने का उद्देश्य

विधानसभा में महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 बिल को पेश करते हुए मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा कि इस विधेयक में पेपर लीक को संज्ञेय, गैर जमानती बनाया गया है। देसाई ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना, अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना और युवाओं को आश्वस्त करना है कि उनके ईमानदार और वास्तविक प्रयासों को उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा और उनका भविष्य सुरक्षित है। देसाई ने कहा कि विधेयक में ऐसे व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव है जो अवैध तरीके से धन कमाने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करते हैं। वे प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने के लिए पिछले महीने एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 के प्रावधान अब पूरे देश में लागू हो चुके हैं। यह कानून फरवरी में लागू हुआ था। अधिसूचना से उसे अमलीजामा पहनाया गया था। अब महाराष्ट्र सरकार ने पेपर लील के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं।

विधानसभा के बाद उच्च सदन में जाएगा विधेयक...

पड़ोसी राज्यों हैं कानून

महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों गुजरात और राजस्थान में पहले से पेपर लीक कानून लागू हैं। विधानसभा के पास होने के बाद सरकार इस बिल को विधान परिषद में रखेगी। दोनों सदनों से पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस बिल में मौजूदा मानसून सत्र में ही पास होने की उम्मीद है।

बिल में क्या हैं बड़े प्रावधान?

1. 1. विधेयक में कहा गया है कि अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कम से कम तीन वर्ष की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 10 लाख रुपये तक का जुमार्ना लगाया जा सकता है।
2. 2. पेपर लीक कराने वाले 1 करोड़ रुपये तक के जुमार्ने से दंडित किया जा सकता है और तत्वों से परीक्षा की लागत भी वसूल की जाएगी। उन्हें चार साल तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के संचालन की कोई जिम्मेदारी सौंपे जाने से रोक दिया जाएगा।
3. 3. अगर पेपर लीके में किसी संस्था का कोई निदेशक, प्रबंधन या सेवा प्रदाता फर्मों के प्रभारी की सहमति या मिलीभगत साबित होती है तो उसे कम से कम तीन वर्ष की सजा होगा। जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं उसके ऊपर 1 करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया जा सकता है।
4. 4. कोई भी व्यक्ति जिसे प्रतियोगी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्य सौंपा गया है या वह इसमें लगा हुआ है। जो अभ्यर्थी नहीं है। वह प्रतियोगी परीक्षा के संचालन को बाधित करने के इरादे से परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। पेपर लीक के मामलों की जांच डीसीपी और एसीपी स्तर के पुलिस अधिकारी करेंगे।
5. 5. जुमार्ना अदा न करने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी।

मुंबई/ कॉलेज द्वारा टी-शर्ट... जींस पर प्रतिबंध का मुद्दा विधानसभा में उठा

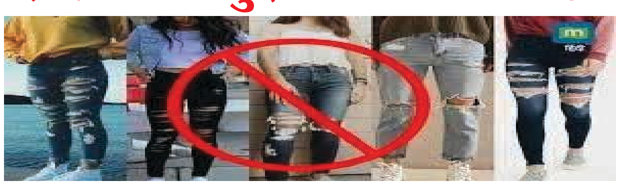

मुंबई : चेंबूर स्थित एन जी आचार्य और डी के मराठे कॉलेज में जींस और टी-शर्ट पर प्रतिबंध की शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने बुधवार को राज्य विधानसभा में आलोचना की। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार कॉलेज के ''तालिबानी फतवे'' के खिलाफ कार्रवाई करे। सरनाईक ने पूछा, ''करीब 70-80% युवा जींस और टी-शर्ट पहनते हैं। क्या आप तैराकी प्रतियोगिता के लिए स्विमिंग सूट और खेल प्रतियोगिताओं के लिए टी-शर्ट और शॉर्ट्स पर प्रतिबंध लगाएंगे?'' पिछले साल इसी कॉलेज ने अपने परिसर में हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने कहा, ''यह प्रतिबंध लोकतंत्र में छात्रों के अधिकारों के खिलाफ है। अगर यह दूसरे कॉलेजों में भी फैल गया तो कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी।'' 27 जून को कॉलेज द्वारा जारी 'ड्रेस कोड और अन्य नियम' शीर्षक वाले नोटिस के अनुसार, इसके परिसर में फटी जींस, टी-शर्ट, खुले कपड़े और जर्सी की अनुमति नहीं है। नोटिस में कहा गया है: ''छात्रों को परिसर में औपचारिक और शालीन पोशाक पहननी चाहिए। वे हाफ-शर्ट या फुल-शर्ट और ट्राउजर पहन सकती हैं। लड़कियां कोई भी भारतीय या पश्चिमी पोशाक पहन सकती हैं...'

मुंबई कॉलेज ने हिजाब, बुर्का और फटी जींस पर प्रतिबंध लगाने वाला ड्रेस कोड लागू किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुशासन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नीति का समर्थन किया है।

कॉलेज अनिवार्य 75 प्रतिशत उपस्थिति पर जोर देता है, जो अनुशासित शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दशार्ता है। स्टोल, बुर्का और टोपी पर कॉलेज के प्रतिबंध को लेकर विवाद है, क्योंकि छात्र अदालत में निर्देश को चुनौती देते हैं। कॉलेज ड्रेस कोड को अनुशासन के लिए आवश्यक बताता है, जिसे अदालत द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम स्थापित करने के अपने अधिकार की मान्यता द्वारा समर्थित किया जाता है। शिवसेना विधायक ने कॉलेजों में ड्रेस कोड प्रतिबंध से उत्पन्न होने वाले संभावित कानून और व्यवस्था के मुद्दों के खिलाफ आगाह किया.

महाराष्ट्र/ चंद्रपुर में मनसे जिला अध्यक्ष पर दागी गोलियां... इलाके में मची सनसनीखेज

चंद्रपुर : महाराष्ट्र के चंद्रपुर में महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना (मनसे) के जिला अध्यक्ष अमन अंदेवार पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। इस सनसनीखेज घटना से जिले में खलबली मच गई है। यह घटना शहर के मध्यवर्ती आजाद बगीचा के पास रघुवंशी कॉम्प्लेक्स में दोपहर करीब 2 से 2.30 बजे के बीच की है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन और शहर पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची। अमन अंदेवार को पीठ में गोली लगी। प्राथमिक इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल ले जाया गया। आगे के इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। फायरिंग मामले से शहर में दहशत का वातावरण है।

चर्चा है कि यह हमला पुरानी दुश्मनी के चलते किया गया है। मनसे कामगार सेना के जिला अध्यक्ष अमन अंदेवार पर हुए फायरिंग मामले को वर्ष 2020 में बल्लारपुर के कोयला व्यापारी सूरज बहुरिया की दिनदहाड़े चौक में गोली मारकर हत्या की थी। उस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। बहुरिया हत्याकांड में अमन अंदेवार के साथ उसके भाई आकाश उर्फ चिन्ना अंदेवार, आल्फ्रेड उर्फ बंटी लॉजिस्ट एंथोनी, प्रणय राजू सहगल, बादल वसंत हरणे, अविनाश उमाशंकर बोबडे शामिल थे, जो बल्लारपुर में रहते थे।

इस हत्या को शराब और कोयला तस्करी की वजह बताया जा रहा है। इस बीच, सूरज की हत्या से कुछ दिन पहले आरोपी अमन अंदेवार ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि 'जंगल जंगल ही रहेगा, मगर शेर बदल जाएगा'। इसलिए यह माना गया कि सूरज बहुरिया की हत्या एक सोची-समझी साजिश थी। सूरज बहुरिया के समर्थकों ने करीब डेढ़-दो साल पहले अमन अंदेवार के भाई आकाश उर्फ चिन्ना आंदेवार पर उनके रघुवंशी कॉम्प्लेक्स में फायरिंग की थी। अब फिर से यह घटना हुई है। अमन अंदेवार पर हुई फायरिंग से शहर में दहशत का माहौल है।

आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करें

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कामगार नेता अमन पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग मनसे जिलाध्यक्ष मनदीप रोडे ने की है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन ने कहा कि पुलिस विभाग के सभी यंत्रणा काम कर रहे हैं। आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

मवेशियों के साथ क्रूरता करने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने मवेशियों के साथ क्रूरता करने के आरोप में एक 33 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। मवेशियों के संरक्षण के लिए काम करने वाले 32 वर्षीय वॉलंटियर को 30 जून को जानकारी मिली कि तलोजा इलाके में अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया है।

जानकारी पाने के बाद एक टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने देखा कि आठ गायों को बांध कर रखा गया है। उनमें से कुछ लहूलुहान थीं और अन्य गायों को ठीक से भोजन भी नहीं दिया गया। वॉलंटियर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

ठाणे के दुकानदार पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज...

घर खरीदारों से 1.15 करोड़ ठगी करने वाला गिरफ्तार

ठाणे : नौ साल की बच्ची ने अपने माता-पिता को बताया कि उसके घर के पास रहने वाले दुकानदार ने उसे बीते रोज दोपहर में बहाने से दुकान में बुलाया। दुकानदार ने उसे कहा कि वह भोजन के लिए जा रहा है, तो वह थोड़ी देर दुकान में बैठ जाए। जब बच्ची दुकान के अंदर गई तो वह उसको अनुचित तरीके से छूने लगा। बच्ची वहां से भागकर घर चली गई। बाद में उसने पूरा बात अपने मां-बाप को बताई। उसके बाद उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि दुकानदार और बच्ची का परिवार एक

दूसरे को जानते थे। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

वहीं पालघर में कई लोगों के साथ 1.15 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। लोगों ने शिकायत की थी कि 30 वर्षीय व्यक्ति ने घर दिलाने का वादा करके पैसे लिए और मार्च में फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि कई सुरागों कड़ी जोड़ने के बाद मंगलवार को वसई इलाके के वागरलपाड़ा में आरोपी को पकड़ा। मानिकपुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक राजू माने ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि उसने पालघर के वसई और विरार के साथ-साथ पड़ोसी मुंबई के घर खरीदारों को वसई में एक चॉल में कमरे दिलाने का वादा करके फंसाया था। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अगस्त 2020 से मार्च 2024 के बीच उनसे पैसे लिए और फिर भाग गया। हालांकि पुलिस ने पीड़ितों की संख्या नहीं बताई। उन्होंने बताया कि मार्च 2024 में कुछ पीड़ितों द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि मानिकपुर थाने में उसके खिलाफ पहले दर्ज दो अन्य मामलों का भी अब तक पता चल चुका है।

ठाणे में 38 वर्षीय व्यक्ति महिला की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे में 38 वर्षीय व्यक्ति को महिला की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया। व्यक्ति ने शादी के बाद मृतक के साथ संबंध बनाकर रखा था। 38 वर्षीय आरोपी व्यक्ति और 32 वर्षीय महिला का लंबे समय से ही अफेयर चल रहा था। कुछ मुद्दों पर दोनों की हमेशा लड़ाई होती थी। शिल-दाइघर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। मंगलवार को दोनों मुंब्रा में एक लॉज में रुके। वहां दोनों के बीच फिर एक बार लड़ाई हुई। इस झगड़े के दौरान व्यक्ति ने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

मुंब्रा में आशिक ने माशूका को उतारा मौत के घाट...

मुंब्रा : किसी तरह का संबंध रखने से इंकार कर देने पर आशिक ने अपनी माशूका का उसी की ओढ़नी से गला घोंटकर मार डाला और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। हत्या का यह मामला डायघर पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। डायघर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीपन शिंदे ने बताया कि मुंब्रा निवासी मो अली नासिर हुसैन शेख (35) का एक 32 वर्षीय महिला के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। 2 जुलाई, शाम के करीब 5 बजे शेख ने अपनी प्रेमिका को डायघर स्थित दीपेश लाज में बुलाया। दोनों के बीच प्रेम संबंधों को लेकर कुछ वाद-विवाद हुआ।

प्रेमिका ने उसके साथ किसी तरह का संबंध रखने से जब इंकार किया तो शेख ने प्रेमिका को उसी की ओढ़नी से गला दबाकर मार डाला और खुद को पुलिस थाने में जाकर आत्म समर्पण कर दिया। पुलिस ने लाज में पड़े प्रेमिका के शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया और आरोपी शेख को गिरफ्तार कर लिया। डायघर पुलिस ने पहली बार आरोपी शेख के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023, कलम 103 (1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक अनिल राजपूत कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी नासिर एक बड़े मौलाना का बेटा है। वह शादी शुदा है और तीन बच्चों का बाप है। मृतक युवती चांद नगर की रहने वाली थी।

महाराष्ट्र में सांगली जिले की एक आंगनवाड़ी में बच्चे को मिले भोजन के पैकेट में निकला मरा हुआ सांप

मुंबई : महाराष्ट्र में सांगली जिले की एक आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए आए मध्याह्न भोजन के पैकेट में कथित तौर पर मरा हुआ छोटा सांप निकलने का मामला सामने आया है. राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की उपाध्यक्ष आनंदी भोसले ने बताया कि पलुस में एक बच्चे के माता-पिता ने कथित घटना की सूचना सोमवार को दी. हालांकि, इसकी पुष्टि के लिए जिले के अधिकारियों से संपर्क नहीं किया जा सका.

आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उपाध्यक्ष ने बुधवार को बताया कि छह महीने से तीन साल की उम्र के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में मध्याह्न भोजन के पैकेट मिलते हैं. इन पैकेटों में दाल खिचड़ी का मिश्रण होता है. सोमवार को पलुस में आंगनवाड़ी कार्यकताओं ने भोजन के पैकेट बांटे. एक बच्चे के माता-पिता ने दावा किया कि उन्हें मिले पैकेट में एक छोटा मरा हुआ सांप था.

अधिकारी ने किया आंगनवाड़ी का दौरा

आनंदी भोसले ने बताया कि आंगनवाड़ी सेविका (महिला कार्यकर्ता) ने अधिकारियों को घटना की सूचना दी. उन्होंने बताया कि सांगली जिला परिषद के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप यादव और खाद्य सुरक्षा समिति के अन्य अधिकारियों ने आंगनवाड़ी का दौरा किया और पैकेट को प्रयोगशाला परीक्षण के लिए ले जाया गया. जिला परिषद के आंगनवाड़ी अनुभाग के प्रभारी यादव से बार-बार प्रयास के बावजूद संपर्क नहीं हो सका.

बंगाल से भी सामने आया था ऐसा मामला

पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले से भी पिछले साल कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था. आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा बांटी जाने वाली खिचड़ी से सांप मिला था. दासपुर के भुईपाड़ा की आंगनबाड़ी से बच्चों को मिड डे मील में खिचड़ी और अंडा दिया गया था. करीब 45 बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई गई थी. खिचड़ी तैयार होने के बाद सभी बच्चे अपने-अपने टिफिन बॉक्स में भरकर उसे अपने घर ले गए. उसमें से एक बच्चे ने जब घर जाकर टिफिन खोला तो उसमें खिचड़ी में मरा हुआ छोटा सांप का बच्चा था.

भिवंडी में शिकायत के आधार पर बिजली चोरी का केस दर्ज

भिवंडी : भिवंडी शहर व ग्रामीण परिसर में बिजली वितरण करने वाली टोरेंट पॉवर कंपनी की भरारी टीम ने शहर के सिद्दीक पटेल कंपाउंड, नारपोली परिसर के एक रहिवासी इमारत में छापामार कर 2,38,777 रूपए की बिजली चोरी पकड़ी है। भरारी टीम के सहायक व्यवस्थापक श्रीकांत राघोलू गणपुरमू ने इसकी शिकायत शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में बिजली उपभोक्ता मोहम्मद जबीर वाहीद और बिजली इस्तेमाल कर रहे असलम जबीर खान अली के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बिजली उपभोक्ता मोहम्मद जबीर वाहीद और बिजली इस्तेमाल कर रहे असलम जबीर खान अली ने अपने आर्थिक फायदे के लिए पिछले एक साल में टोरेंट पॉवर के रोहित्र बर 4004511 के फ्युज सेक्शन पिलर में अवैध कनेक्शन कर बिजली मीटर के आलावा 8994 यूनिट बिजली का उपयोग कर 2 लाख 38 हजार 777 रुपए की बिजली चोरी की है।

क्राइम ब्रांच ने जुहू में म्हाडा कॉलोनी के पास कारतूस की खेप की बरामद... 3 गिरफ्तार

मुंबई : अपराध शाखा यूनिट 9 ने तीन आरोपियों को पिस्तौल और कारतूसों की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने आठ अत्याधुनिक पिस्तौल और 138 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से 8 जुलाई तक आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। अपराध शाखा से मिली जानकारी के मुताबिक अपराध शाखा यूनिट 9 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दया नायक को पता चला था कि जुहू में म्हाडा कॉलोनी के पास पीवीआर सिनेमा थियेटर के सामने एक व्यक्ति हथियार पहुंचाने आ रहा है। सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने वहां जाल बिछाया और संदिग्ध का इंतजार करने लगी। इसी दौरान मिठाईलाल चौधरी (53) नामक एक संदिग्ध व्यक्ति आया। उसकी तलाशी लेने पर पुलिस को एक अत्याधुनिक पिस्तौल और सात जिंदा कारतूस मिले। चौधरी

को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आगे की जांच की, जिससे दावल देवरमानी (34) और पुष्पक मडावी (38) नामक दो और व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी हुई। कुल मिलाकर, क्राइम ब्रांच ने इन तीनों व्यक्तियों से आठ अत्याधुनिक पिस्तौल और 138 जिंदा कारतूस जब्त किए। गिरफ्तार आरोपी चौधरी उत्तर प्रदेश के मिजार्पुर जिले का रहने वाला है, जबकि अन्य दो आरोपी देवरमणी और मादवी नवी मुंबई के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये पिस्तौलें कहां से आईं और आरोपी इन्हें किसे देने की योजना बना रहे थे।

यह समाचार पत्र मासिक महाराष्ट्र क्राईम्स मालिक, मुद्रक प्रकाशक सिराज चौधरी द्वारा राजीव प्रिंटर्स, ४९६, पंचशील नगर१, नागसेन बुद्ध मंदिर रोड नं३, तिलक नगर, चेम्बुर, मुंबई४०००८९ से मुद्रित करवा कर ८/ऐ/१६९/२७०२/टागोर नगर, विक्रोली (पू), मुंबई४०००८३ से प्रकाशित किया । RNI NO. : MAHHIN/1998/02261

संपादक सिराज चौधरी मो. ७७७७०६०६८७ www.maharashtracrimes.in / www.maharashtracrimes.blogspot.in Email : editor@maharashtracrimes.in / maharashtracrimes@gmail.com